न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./116/2013/बाड़मेर

अपीलांट

1. खंगाराराम पुत्र सोनाराम राईका
के कायम मुकामः–
2/1 देवाराम पुत्र खंगाराराम उम्र
43 वर्ष
2/2 जोगाराम पुत्र खंगाराराम उम्र
35 वर्ष जाति राईका निवासी बायतु
भोपजी तहसील बायतु जिला बाड़मेर।

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1.भोमाराम पुत्र जगरूपाराम
जाति जाट निवासी धारासर
हाल बायतु भोपजी त0 बायतु
जिला बाड़मेर।
2.जमनादेवी पत्नी भूराराम
जाति जाट निवासी बायतु
भोपजी तहसील बायतु।
3.गोरधनराम पुत्र पदमाराम
जाति जाट निवासी बायतु
चिमनजी तहसील बायतु
4.हड़वन्तसिंह पुत्र केसराराम
जाति जाट निवासी नया
भुरटिया हाल बायतु भोपजी
5.कुम्भाराम पुत्र प्रभूराराम
फौत के कायम मुकामः–
5/1मानाराम पुत्र कुम्भाराम
5/2थानाराम पुत्र कुम्भाराम
6.किरताराम पुत्र गोरधनराम
जाति जाट निवासी लांपला
तहसील बायतु जिला बाड़मेर
7.उमरावसिह पुत्र केसराराम
जाति जाट निवासी बायतु
भोपजी तहसील बायतु।
8.शंकरलाल पुत्र मगाराम जाति
दर्जी निवासी दर्जीयों की ढाणी
तहसील बायतु जिला बाड़मेर
9.पूराराम पुत्र लाधाराम जाति
जाट निवासी जोगासर तहसील
बायतु जिला बाड़मेर
10.जमना पुत्री जोगाराम जाति
जाट निवासी बायतु भोपजी
तहसील बायतु
11.शिवराम पुत्र जुगताराम
12.निम्बाराम पुत्र जुगताराम
13.बुधाराम पुत्र जुगताराम
14.जेताराम पुत्र जुगताराम
15.समदा पत्नी जुगताराम जाति
देवासी निवासी बायतु भोपजी
तहसील बायतु
16.लिखमाराम पुत्र भैराराम जाति
जाट निवासी बायतु भीमजी

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

तहसील बायतु।
17.तुलसाराम पुत्र कुम्भाराम जाति जाट
18.मीना पुत्री अचलेश्वर प्रसाद
19.मुकेश पुत्र अचलेश्वर प्रसाद जाति मेवाड़ा निवासी बायतु भोपजी तहसील बायतु।
20.पूराराम पुत्र बगताराम जाति जाट निवासी झालामलिया तहसील बायतु
21.जेठाराम पुत्र सोनाराम
22.लक्ष्मणराम पुत्र आसूराम जाति जाट निवासी खारापार तहसील बायतु
23.चैनाराम पुत्र किरपाराम
24.नारणाराम पुत्र किरपाराम फौत के
का. मु. :–24/1पदमाराम पुत्र नारणाराम
24/2भोमाराम पुत्र नारणाराम
24/3भोपाराम पुत्र नारणाराम जाति जाट निवासी सोहड़ा तहसील बायतु जिला बाड़मेर।
25.गोरखाराम पुत्र पदमाराम जाति जाट निवासी चीबी तहसील बायतु जिला बाड़मेर
26.रतनाराम पुत्र जुगताराम जाति जाट निवासी अकदड़ा तहसील बायतु जिला बाड़मेर।
27.घमण्डाराम पुत्र गिरधारीलाल जाति जाट निवासी खोथो की ढाणी, अकदड़ा तहसील बायतु।
28.मालाराम पुत्र आईदानराम जाति जाट
29.भैराराम पुत्र प्रहलादराम जाति जाट
30.गोपाराम पुत्र चौखाराम जाति जाट
31.खेताराम पुत्र मगाराम जाति सुथार निवासी बायतु भोपजी तहसील बायतु।
32.चैनाराम पुत्र बालाराम
33.चम्पा पत्नी दमाराम
34.मगाराम पुत्र सोनाराम जाति जाट निवासी माधासर तहसील बायतु जिला बाड़मेर।
35.भंवरलाल पुत्र पदमाराम जाति जाट निवासी दर्जीयों की ढाणी तहसील बायतु जिला बाड़मेर।
36.लाभूराम पुत्र सोनाराम जाति जाट निवासी बायतु भीमजी तहसील बायतु जिला बाड़मेर।
37.बालाराम पुत्र फूसाराम जाति जाट निवासी बूठ सरा तहसील बायतु जिला बाड़मेर।
38.गंगाराम पुत्र मगाराम
39.रामलाल पुत्र मगाराम
40.भैराराम पुत्र मगाराम
41.आम्बूदेवी पुत्री मगाराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

42.श्रीमती ढपी बैवा मगाराम जाति देवासी निवासी बायतु भोपजी तहसील बायतु
43.अणसी पत्नी हरखाराम जाति जाट निवासी चांदेसरा तहसील बायतु जिला बाड़मेर।
44.खेतुदेवी पत्नी भूराराम जाति जाट निवासी बायतु भोपजी तहसील बायतु जिला बाड़मेर।
45.हथूदेवी पत्नी करनाराम जाति जाट निवासी कानासर तहसील शिव जिला बाड़मेर।
46.मंगनाराम पुत्र पूराराम जाति जाट निवासी दर्जीयों की ढाणी तहसील बायतु जिला बाड़मेर।
47.पीराराम पुत्र कुम्भाराम
48.केवीचन्द पुत्र विशनाराम
49.प्रेमचन्द्र पुत्र विशनाराम जाति सुथार निवासी बायतु भोपजी तहसील बायतु।
50.राज.राज्य जरिये तहसीलदार बायतु।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बायतु के राजस्व वाद संख्या 54/2012 निर्णय व डिक्री दिनांक 26.12.2012।

उपस्थिति

1. वकील श्री पूनमसिंह चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री पवन सिंहल रेस्पोडेंट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः– 02.05.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –"अपीलार्थी संख्या 1 की सेटलमेंट में सह खातेदारी के रूप में ग्राम बायतु भोपजी के खसरा संख्या 31 की भूमि दर्ज हुई जिसमें अपीलार्थी संख्या 2 का सम्वत 2067 तक बतौर खातेदारी में नाम दर्ज रहा लेकिन फिर हल्का पटवारी व रेस्पोडेंट संख्या 1 ने हल्का आर.आई से मिलावट कर अपीलार्थी संख्या 2 को राजस्व रेकर्ड से नाम हटाकर भूमि को खुर्द–बुर्द व अपने निजी हित के फायदे के लिये अपीलार्थी का नाम हटवा दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश को पारित करने से पूर्व मौका विभाजन प्रस्ताव दिनांक 24.11.2012 को निर्णय का भाग मानते हुए स्वीकार कर लिया जबकि यह मौका विभाजन प्रस्ताव बनाते समय न तो तहसीलदार बायतु मौके पर गया और न ही इस खसरे पर किन–किन पक्षकारों के कहां–कहां कब्जे है कहीं पर भी नक्शे में

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

नहीं दर्शाया गया है जबकि जो विभाजन प्रस्ताव का नक्शा बनाया है इस खसरे में अकृषि कार्य में उपयोग में ली जा रही है उनके नम्बर अंको में दर्शाये गये है जो कानूनन तौर से कृषि भूमि को अकृषि में उपयोग में लेने का किसी को अधिकार नहीं है हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर तहसीलदार बायतु को इस विभाजन प्रस्ताव को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 कार्यवाही करनी चाहिए थी। तहसीलदार बायतु ने विभाजन प्रस्ताव अपीलार्थी संख्या 2 का कब्जा भी इस खसरे में न दर्शाकर एक प्रकार से कानूनी भूल की है। विभाजन प्रस्ताव एकतरफा फेब्रिकेटेड दस्तावेज के रूप में है इसलिये इस मौका रिपोर्ट के आधार पर पारित निर्णय निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलार्थी संख्या 02 सेटलमेंट से वादग्रस्त भूमि का बतौर रिकॉर्डेड खातेदार के रूप में उपयोग लेता आ रहा है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया तथा इसके हिस्से की भूमि को खुर्द–बुर्द करने की नियत से अपीलार्थी को पक्षकार नहीं बनाते हुए आलोच्य निर्णय पारित करवाया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश को पारित करने से पूर्व मौका विभाजन प्रस्ताव दिनांक 24.11.2012 को निर्णय का भाग मानते हुए स्वीकार कर लिया जबकि यह मौका विभाजन प्रस्ताव बनाते समय न तो तहसीलदार बायतु मौके पर गया और न ही इस खसरे पर किन–किन पक्षकारों के कहां–कहां कब्जे है कहीं पर भी नक्शे में नहीं दर्शाया गया है जो कि न्यायोचित नहीं है। यह बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धान्त के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय By Metes & Bounds किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

कि अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी पूर्व में नहीं हो पाई क्योंकि मूल वाद संख्या 54/2012 अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण को पक्षकार नहीं बनाये जाने से अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी। जानकारी होने तथा निर्णय की प्रति प्राप्त होने से अपीलांट द्वारा समयावधि के भीतर तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपीलांटस द्वारा एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96(12) सिविल प्रक्रिया संहिता पेश कर बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट/वादीगण द्वारा वाद में अपीलांट को आवश्यक पक्षकार संयोजित नहीं किया गया। इसलिए प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96(12) सिविल प्रक्रिया संहिता पक्षकार को अपील की स्वीकृति बाबत प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया जावे।

अधवक्ता रेस्पोडेंट ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96(12) सिविल प्रक्रिया संहिता पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांटस प्रस्तुत प्रकरण में आवश्यक पक्षकार नहीं होने से पक्षकार नहीं बनाया गया तथा इस प्रकरण में अपीलांट का कोई हक हिस्सा नहीं होने से पक्षकार बनाना आवश्यक नहीं है। अतः अपीलांट द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाये जावे।

अपीलांटगण अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे इसलिए धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत भी आवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड से स्पष्ट होता है कि– "इस अपील मीमो पर अपीलार्थी संख्या 01 सारों के हस्ताक्षर तथा वकालतनामा दिनांक 30.09.2013 एवं शपथ–पत्र पर सारों के हस्ताक्षरों में बहुत भिन्नता है। इसी तरह प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 96(12) दिनांक 30.09.2013 पर सारों के हस्ताक्षरों में एकदम अंतर स्पष्ट दृष्टिगोचर है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी के अनुसार विवादित आराजी में अपीलांट संख्या 01 सारो खातेदार रूप में कभी भी

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अभिलिखित नहीं रही। उसके कथनों में भी विरोधाभास है। अपीलाधीन निर्णय से वह किसी भी दृष्टि से व्यथित या हितबद्ध नहीं है इसलिए वह सदभावी एवं आवश्यक पक्षकार नही है। अतः उसका धारा 96 के तहत प्रस्तुत आवेदन अस्वीकार किया जाता है। अतः अपीलांट के रूप में उसका नाम विलोपित किया जाता है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का और उसके संलग्न राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया कि ग्राम बायतु भोपजी के विवादित खेत खसरा संख्या 31 के संबंध में भरे गए तीन नामांतरण संख्या क्रमशः 658,716(दिनांक 20.01.2009) एवं 740 है। अंतिम नामांतरकरण अपीलाधीन निर्णय की पालना में भरा गया है। इससे पहले वाले नामांतरण संख्या 658 के अनुसार इस विवादित आराजी में अपीलांट संख्या 2 खंगार वल्द सोना का हिस्सा 24–00/743 अंकित है। इस लिहाज से अपीलाधीन निर्णय की विवादित आराजी में अपीलांट संख्या 02 खंगार के कायम मुकाम उसके प्रत्यक्ष रूप से अभिलिखित सहखातेदार होने की वजह से आवश्यक हैं। विभाजन के इस दावे में स्व. खंगार को पक्षकार रूप में संयोजित नहीं किया गया। जबकि वह अपीलाधीन निर्णय से प्रत्यक्षत प्रभावित हुआ। लिहाजा खंगार के कायम मुकाम की तरफ से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 96 के तहत प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार कर अपीलांट के रूप में इनका संयोजन आदेशित किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय में हस्तगत प्रकरण में संबंधित वाद की प्रस्तुति के वक्त अपीलांट संख्या 01(संशोधित) रिकॉर्डेड सहखातेदार था। अपीलाधीन निर्णय के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उसके खातेदारी हकूको के विलोपन बाबत भी इस निर्णय में कोई आदेश नहीं है। तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका मुआवना नहीं किया गया है व बंटवारा प्रस्ताव पर उनके द्वारा केवल प्रतिहस्ताक्षकर किये गये है। जबकि तहसीलदार को बंटवारे के मामले में स्वयं मौका देखना चाहिए। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील निम्नलिखित आधारों पर रिमाण्ड करने योग्य हैः–

(1) अपीलांट खंगार रिकॉर्डेड सह खातेदार होने के कारण आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद भी उसे पक्षकार नही बनाया गया।

(2) सहखातेदार खंगार के हक हिस्से बाबत अपीलाधीन निर्णय में कोई अंकन नहीं है बल्कि उसका नाम/अंश अकारण विलोपित कर दिया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

(3)अपीलाधीन निर्णय में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 के अनुसरण में नहीं किया गया है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 54/2012 भोमाराम बनाम जमनादेवी वगै. मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2012 व 26.12.2012 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटगण को समुचित सुनवाई का मौका दिया जाकर साक्ष्य/सबूत लेकर एवं तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार बाई मिटस एण्ड बाउंडस विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर पुनः निर्णय पारित करे।

2/5/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 02.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner